कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

पत्रांक : 1034/67140 पी एम जी एस वाई/2021 दिनांक : 12-07-21

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
जनपद सोनभद्र।

विषय :— जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के किमी0 0.00 से 20.200 तक के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 8.010 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— (1) विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग—2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं0 P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020

(2) आपका पत्रांक— 1048/सोनभद्र/33 दि0 28-10-2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन—लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05—05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाहीं हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है—

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत नही आता है । इससे संबंधित प्रमाण—पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।
2	User Agency (UA) Shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मॉग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है । इससे संबंधित प्रमाण—पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।
3	Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा । इससे संबंधित प्रमाण—पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।
4	The UA will submit scheme for compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्कीम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।
5	The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble supreme court.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 8.010 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 5014260.00/- कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई—चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - CORP0000371, A/C No. 150906135326604 में जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक—1 एवं 2)
6	In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval accorded by MoEF&CC, each State /UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated	शर्त संख्या—06 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।

	purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.	
7	The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.	शर्त संख्या–07 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।
8	The legal status of the land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन मे वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। संलग्नक– 3
9	The project site should be outside protected area network and eco-sensitive zones (ESZ)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रश्नगत वन भूमि **eco-sensitive zones(ESZ)** जोन से बाहर है ।
10	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief conservator for Forests and from State/UT Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ0प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
11	The Nodal officer (Forest conservator) shall submit monthly report to the concerned regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.	शर्त संख्या–11 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।
12	The User agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि के आस–पास स्थिति को कोई क्षति नही पहुँचायी जायेगी। इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है । संलग्नक– 4
13	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है । संलग्नक– 5
14	Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion to such forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है । संलग्नक– 6
15	The state/UT forest department or state/UT Government or the concerned Regional office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development fo forests.	इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है । संलग्नक– 7
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 58 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है, जो कि न्यूनतम है। प्रभावित वृक्षों का पातन उ0प्र0 वन विभाग के माध्यम से वन विभाग की देख–रेख में कराया जायेगा। पातन लॉगिग आदि का व्यय उ0प्र0 वन विभाग को उनकी मांग के सापेक्ष उपलब्ध करा दिया गया है। संलग्नक– 8
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनो को कोई क्षति नही होगी।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा ।

19	प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षो के लिए रख रखाव किया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 8.010 हे0 के सापेक्ष जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–पेढ़, परगना–बड़हर, तहसील–घोरावल जिला–सोनभद्र के अन्तर्गत 8.010 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराते हुए उस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव करने हेतु रू0–3551200.00/– की धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , IFSC Code. CORP0000371 Account No. 150906135326604 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है । **संलग्नक–1 व 2**
20	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दि0–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात की विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, कैम्पा फण्ड पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा के निर्धारित खाता में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **संलग्नक संख्या–1 व 2**
21	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथा स्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग आवश्यकता रहने तक मार्ग निर्माण के उपयोग हेतु ही किया जायेगा । यदि आवश्यकता नही रहेगी तो प्रश्नगत वन भूमि को वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा एवं इस हेतु वन विभाग से किसी प्रकार का प्रतिकर आदि की मॉग नही की जायेगी । **बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। <u>संलग्नक संख्या–</u> 9**
22	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0बी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अण्डरटेकिंग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है । **संलग्नक– 10**
23	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दि0–19.08. 2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I), दि0– 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक, विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है (If Applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिम कमेटी ऑफ नेशनल वार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदित अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन आवश्यक नही है।
24	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
25	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयो द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है । **<u>संलग्नक संख्या–</u> 11**

26	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफसी, दि0–08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है। भूसंदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र सक्षम प्राधिकारी एवं प्रमागीय निदेशक द्वारा प्रमाणित कर मूल प्रस्ताव में संलग्न है एवं डिजीटल डाटा/मानचित्र की सी0डी0 संलग्न है। संलग्नक– 12
27	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों /प्रतिबंधो की अनुपालन किया गया है एवं प्रमागीय निदेशक द्वारा निरोक्षणोपरान्त वॉछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। संलग्नक संख्या– 13

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण–पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0–सोनभद्र।

पत्रांक :– 1034/67140 पी0एम0जी0एस0वाई0/2021 दिनांकः – 12-07-21

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त,लो0नि0वि0 मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0–सोनभद्र।

संलग्नक -1

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

▽ **Help**

- Click on **Generate Challan** to generate challan.

Paid : This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Sno	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	[illegible]
1	FP/UP/ROAD/35326/2018	ROAD353262018604	6135326604	WIDENING & STRENGTHENING OF RAMPUR-BARKONIYA TO LAUA VIA MAUKALA ROAD FROM KM 0.00 TO 20.200 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-ROBERTSGANJ, DISTT. SONEBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D., SONBHADRA.	Road	8.01	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA	28-8-2020	24-11-2020	Paid	Paid
2	FP/UP/ROAD/34160/2018	ROAD341602018651	6134160651	WIDENING & STRENGTHENING OF RPK ROAD KM 45.00 TO CHARGADA, MANCHI, DEVHAR, DAREV, MADAPA ROAD FROM KM 0.00 TO 22.000 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.- ROBERTSGANJ, DISTT. SONBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D., SONEBHADRA.	Road	15.255	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA	28-8-2020	24-11-2020	Paid	Paid

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड,
लो.नि.वि., सोनभद्र

संलग्नक -2

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–20 के अनुपालन में ग्राम पेढ़, परगना–बड़हर, तहसील–घोरावल के गाटा संख्या – 369 में 2.0480 हे0, गाटा संख्या – 378क में 1.0500 हे0, गाटा संख्या – 392ख मि में 0.3820, गाटा संख्या – 507ग मि में 0.0890 हे0 एवं गाटा संख्या – 380 में 1.4410 हे0 कुल 8.0100 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है। जिससे सम्बन्धित खतौनी सत्यापित कर संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 213014 ग्राम का नाम / परगना : पेढ(बढ़हर) तहसील : घोरावल जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1423-1428 भाग : 1 उद्धरण क्रमांक : 213014202107230

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो ।							
00551	सहकारी कृषि समिति / 0000 / नि. ग्राम	1377फ-	79ख	0.8100		1423फ0 देखे आदेश खाता स0 574पर दर्ज है ह0रका0 24.11.2016 1424फ- देखे बैनामा आदेश खाता सं0 176 पर दर्ज है, ह0रका0 14.6.2017 मु0नं0 201916660302847 धारा 38(2) उ0प्र0 राजस्व1 संहिता 2006 ता0फै0 02.11.2019 न्यायालय उप जिलाधिकारी/असि0क0प्र0 श्रेणी घोरावल सोनभद्र पारित आदेश स्थित मौजा पेढ के खाता संख्या 00551 के खतौनी सन् फसली 1423-1428 के आराजी नं0 74ख/0.810हे0 , 320घमी/3.373,321घ/1.518,369/2.048,378क /1.0500,380/1.441,192ख/0.582,397क/5.603,399क /0.897,401ख/6.678,407/1.263,492क/3.287,493ख /0.531,504ग/1.417,506ग/4.388,507ग /5.678,509कमी/2.528,516ख/1.265,541क /2.225,597ग/1.833,663[illegible]/0.455,723/0.582,734 /2.275,824/1.226,911/0.[illegible],916/0.228,962 /0.759हे0 कुल 27 गाटा रकबा 54.248हे0 भू-राजस्व8 3.78 सहकारी क्रषी पेढ के नाम जाली एवं फर्जी प्रविष्टि निरस्त2 कर ग्राम सभा बंजर खाते में दर्ज हो ह0र0का0 20/11/2019	
		1377फ-	320घमि	3.3770			
		1377फ-	321घ	1.5180			
		1377फ-	369	2.0480			
		1377फ-	378क	1.0500			
		1377फ-	380	1.4410			
		1377फ-	392ख	0.5820			
		1377फ-	397क	5.6030			
		1377फ-	399क	0.8970			
		1377फ-	401ख	6.6780			
		1377फ-	407	1.2630			
		1377फ-	492क	3:2870			
		1377फ-	493ख	0.5310			
		1377फ-	504ग	1.4170			
		1377फ-	506ग	4.3880			
		1377फ-	507ग	5.6780			
		1377फ-	509कमि	2.5280			
		1377फ-	516ख	1.2650			
		1377फ-	541क	2.2250			

		1377फ-	557ग	1.8330		मु0नं0 201916660303016 धारा 38(2) उ0प्र0 राजस्व/संहिता 2006 ता0फै0 22.11.2019 न्यायालय उप जिलाधिकारी/अति0का0प्र0 श्रेणी घोरावल सोनभद्र द्वारा वाद संख्या। टी201916660302847 में पारित आदेश 01.11.2019 स्थित मौजा पेढ़ के खाता संख्यार 00551 के खतौनी सन् फसली 1423-1428 के आराजी नं0 74ख/0.810हे0 , 320घमि/3.373,321घ/1.518,369/2.048,378क/1.0500,380/1.441,392ख/0.582,397क/5.603,399क/0.897,401ख/6.678,407/1.263,492क/3.287,493ख/0.531,504ग/1.417,506ग/4.388,507ग/5.678,509कमि/2.5280,516क/1.265,541क/2.225,597ग/1.833,665क/0.455,723/0.582,734/2.275,824/1.226,911/0.304,916/0.228,962/0.759हे0 कुल 27 गाटा रकबा 54.248हे0 भू-राजस्व3 3.78 सरकारी कृषी पेढ के नाम जाली एवं फर्जी प्रविष्टि निरस्त. कर ग्राम सभा बंजर खाते से संशोधित करते हुए सिलिंग भूमि श्रेणी 4-क खाते में दर्ज हो ह0र0का0 04.12.2019 मु०न०टी 201916660302847 धारा 38-2 उ०प्र०रा०संहिता ता०फै० 17-02-2021 न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनभद्र न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पेढ प०बड़हर तह०घोरावल जि० सोनभद्र एक पक्षीय आदेश दिनांक 01-11-2019 व 22-11-2019 आंशिक रूप से गाटा सं० 541क व 557ग व 911 व 916 व 962 श्रेणी 4क सीलिंग खाते के बाबत निरस्त किया जाता है एवं शेष गाटा सं० 79ख रकबा 0.8100हे० व 320घमि रकबा 3.3770हे० व 321घ रकबा 1.5180हे० व 369 रकबा 2.0480हे० व 378क रकबा 1.0500हे० व 380 रकबा 1.4410हे० व 392ख रकबा 0.5820हे० व 397क रकबा 5.6030हे० व 399क रकबा 0.8970हे० व 401ख रकबा 6.6780हे० व 407 रकबा 1.2630हे० व 492क रकबा 3.2870हे० व 493ख रकबा 0.5310हे० व 504ग रकबा 1.4170हे० व 506ग रकबा 4.3880हे० व 507ग रकबा 5.6780हे० व 509कमि रकबा 2.5280हे० व 516क रकबा 1.2650हे० व 665क रकबा 0.4550हे० व 723 रकबा 0.5820हे० व 734 रकबा 2.2750हे० व 824 रकबा 1.2260हे० कुल 22गाटा रकबा 48.899हे० यथावत श्रेणी 4क सीलिंग खाते में कायम रहेगा। ह०र०का० 19-02-2021	
		1377फ-	665क.	0.4550			
		1377फ-	723	0.5820			
		1377फ-	734	2.2750			
		1377फ-	824	1.2260			
		1377फ-	911	0.3040			
		1377फ-	916	0.2280			
		1377फ-	962	0.7590			

मु०न० टी० 202116660300678 धारा 101 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006-न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनभद्र, न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पेढ पर०बड़हर तहसील घोरावल सोनभद्र फसली सन् 1423 से 1428 के खाता संख्या 551 आराजी सं० 541क रकबा 2.2250हे० शिड्यूल अ वर्तमान विधायती देवी पत्नी भूपेन्द्र बहादुर सिंह निवासी दाढ़ीराम परगना कन्तित जिला मीरजापुर के स्थान पर श्रेणी 4 क अतिरिक्त भूमि सीलिंग व खाता सं० 551 के आराजी सं० 824 मि रकबा 0.5000हे० व 401ख रकबा 1.5640हे० योग कुल 2 गाटा कुल रकबा 2.0640हे० शिड्यूल ब श्रेणी 4 क अतिरिक्त भूमि सीलिंग पर विधायती देवी पत्नी भूपेन्द्र बहादुर सिंह निवासी दाढ़ीराम परगना कन्तित जिला मीरजापुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित कर कागजात माल दुरूस्त हो। ह०र०का० 01-03-2021

विविध/पट्टा उप जिलाधिकारी घोरावल स्वीकृति दिनांक 23-02-2021 के आधार ग्राम पेढ प०बड़हर तह०घोरावल जि० सोनभद्र के निम्न आवंटियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित आराजी व रकबे को सीलिंग पट्टेदार के रूप में अंकित किया जाता है -1-छोटे पुत्र अंजन नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-2-गुलाब पुत्र अंजन नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-3-सूर्यबली पुत्र हरख नि०पेढ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-4-शंकर पुत्र हरख नि०पेढ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-5-बुद्धिराम पुत्र हरख नि०पेढ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-6-भोला पुत्र हरख नि०पेढ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-7-राधेश्याम पुत्र रामदेव नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-8-शिवप्रसाद पुत्र लालता नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-9-रामप्रसाद पुत्र लालता नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-10-बालमुत पुत्र राजकुमार नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-11-धर्मेन्द्र पुत्र राजकुमार नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-12-सुरेन्द्र पुत्र राजकुमार नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-13-निर्मला देवी पत्नी स्व०राजकुमार नि०पेढ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे०

					मू०रा०1.30-14-रामकुमार पुत्र अमृत नि०पेठ नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० मू०रा०1.30-15-प्रमोद कुमार पुत्र अमृत नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० मू०रा०1.30-16-[illegible] पुत्र अमृत नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० मू०रा०1.30-17-वयुन्दर पुत्र मूरत नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० मू०रा०1.30-18-रामजतन पुत्र घूरे नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० मू०रा०1.30 । उपरोक्त विवरणानुसार सीलिंग पट्टेदार अंकित हो। ह०र०का० 02-04-2021	

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र पत्र सं॰ 1294/डी॰एल॰आर॰सी॰-भू॰ पुनर्ग्रहण/2021 दिनांक-06 जुलाई 2021 आकार प्रपत्र-1 पुनर्ग्रहण आदेश-शासनादेश स॰-238(1)16-73-रा-1दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ॰प्र॰अधिनियम स॰8 सन 2012) की धारा 59 की उप धारा 4 के खण्ड ग तथा उ॰प्र॰राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना सं॰ 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिषेक सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्ध में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। अनुसूची-1-क्रम स॰-1-2-जनपद-सोनभद्र-3-तहसील घोरावल-4-परगना-बड़हर-5-ग्राम-पेढ-6-गाटा स॰- 369 रकबा 2.0480हे॰ व 378क रकबा 1.0500हे॰ व 392खमि॰ रकबा 0.3820हे॰ व 507गमि॰ रकबा 3.0890हे॰ व 380 रकबा 1.4410हे॰ योग 5 गाटा रकबा 8.0100हे॰ -8-भूमि की श्रेणी-4-क-सीलिंग-9-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है-वन विभाग-क्षतिपूरक वनीकरण हेतु- पुर्नग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। ह॰र॰का॰ 07-07-2021

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र पत्र सं॰ 1295/डी॰एल॰आर॰सी॰-भ॰ पुनर्ग्रहण/2021 दिनांक 06 जुलाई 2021आकार प्रपत्र-1 पुनर्ग्रहण आदेश-शासनादेश स॰-238(1)16-73-रा-1दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ॰प्र॰अधिनियम स॰8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड ग तथा उ॰प्र॰राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना सं॰ 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिषेक सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्ध में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। अनुसूची-1-क्रम स॰-1-2-जनपद-सोनभद्र-3-तहसील घोरावल-4-परगना-बड़हर-5-ग्राम-

						पेठ-6-गाटा सं० 401ख मि० रकबा 1.0960हे० व 504ग रकबा 1.4170हे० व 506गमि० रकबा 4.1980हे० व 509कमि० रकबा 2.5280हे० व 516ख रकबा 1.2650हे० व 541क रकबा 2.2250हे० व 507गमि० रकबा 2.5260हे० वयोग 07 गाटा रकबा 15.2550हे०-8-भूमि की श्रेणी-4-क-सीलिंग-9-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है- वन विभाग-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग स्तम्भ 9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। ह०र०का० 07-07-2021	
			27	54.2480	₹ 330.78	9	0

कुल गाटे- दो सात कुल क्षेत्रफल- पाँच चार दशमलव दो चार आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - तीन तीन शून्य दशमलव सात आठ रुपये

Data Digitally Signed by: VINAY KUMAR SINGH

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: VINOD KUMAR DUBEY
तहसील: घोरावल जनपद: सोनभद्र
दिनांक एवं समय: 07-07-2021 [illegible]
ⓘ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक [illegible] सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

सेलग्नक -3

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

संलग्नक –4

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि एवं उसके आस–पास की भूमि पर स्थिति फ्लौरा एवं फौना की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी इस हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

संलग्नक–5

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या **P-62/81-2-2020-800(65)/2020** दिनांक **28.08.2020** द्वारा प्रदान की गयी है। **उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति** आदेश के शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग **केवल मार्ग के चौड़ीकरण** एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

संलग्नक -6

(37)

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Sonbhadra (U.P.)

No. 878/HC   Dated 27.11.18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment & Forest (MoE&F), Govt. of India's, letterNo.11-09/98-FC(pt) dated 28th October 2014, It is certified that Project envisages the use of 8.010 ha. Forest Land for diversion (under FCA-1980) for Widening & Strengthening of Rampur-Barkoniya to Laua via Maukala Road from Km 0.00 to 20.200 under Road Connectivity Project on Left Wing Extremism Area (Rcplwea) By PMGSY-Division, P.W.D., Sonebhadra falls within villages- Maukhurd, Maukala, Baheda, Laua in Tahsil- Robertsganj, Distt. Sonbhadra (U.P.)

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011. Therefore,"No" rights of Primitive of Tribal groups and Pre-agriculture Communities are being affected.

26/11/18
(Er. SANTRAM)
EXECUTIVE ENGINEER
P.M.G.S.Y. DIV. P.W.D.
SONEBHADRA (U.P.)

27/11/18
District Magistrate
Sonbhadra
(अमित कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

SK 21/1/19
(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड,
लो.नि.वि., सोनभद्र

संलग्नक – 7

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि हेतु यदि राज्य सरकार/भारत सरकार/वन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो विभाग उस शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

संलग्नक – 8

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि में प्रभावित वृक्षों का पातन उत्तर प्रदेश वन विभाग के माध्यम से वन विभाग की देख–रेख में कराया जायेगा। पातन लॉगिक आदि का व्यय उ0प्र0 वन विभाग को उनकी मांग के सापेक्ष उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

सलग्नक - 9

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मार्ग के आवश्यकता होने तक किया जायेगा। यदि मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसे वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा। वापस करने के उपरान्त वन विभाग से कोई प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

सलग्नक -10

—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या **FP/UP/ROAD/35326/2018** की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग—2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या **P-62/81-2-2020-800(65)/2020** दिनांक **28.08.2020** द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या—22 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि के सापेक्ष यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित है, तो बढ़ी हुई धनराशि को जमा कराने हेतु विभाग वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

सलग्नक -11

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-62/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–25 के अनुपालन में प्रश्नगत कार्य में समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

पैकेज संख्या 67140

डिजिटल डाटा, के एम एल

फाइल एवं मानचित्र की सीडी

संलग्नक-13

–: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मऊकला से लौवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 8.010 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 58 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/35326/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या **P-62/81-2-2020-800(65)/2020** दिनांक **28.08.2020** द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में वांछित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के पत्र संख्या 1034/ 67140 –पी0एम0जी0एस0वाई0/2021, दिनांक .07.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत किये गये अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक को किया गया।

उ0प्र0 शासन के उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 28.08.2020 में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा भविष्य में बिना कोई विवाद के अनुपालन करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग,
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।